



Office of  
**EXECUTIVE ENGINEER, SARKAGHAT DIVISION**  
Himachal Pradesh Public Works Department Sarkaghat  
Ph. 019055- 230034, Fax: 230034, E-mail ee-sar-hp@nic.in

No.PW-SKT-WA-FOREST CASE/2024- 7794

Dated: - 16/10/2024

To

Deputy Conservator of Forests,  
Suket Forest Division,  
Distt. Mandi(H.P.)

Subject:-

Diversion of 0.6123 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road to Harijan Basti Kalehri (Kms 0/00 to 2/500), within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, H.P.

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. /06/41 /2017/एफ. सी /1204 दिनांक 10.10.2017.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० 8बी /एच .पी. /06/41 /2017/एफ. सी /1204 दिनांक 10.10.2017. के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति व विधिवत् स्वीकृति की शर्तें	मंजूर /नामंजूर
1	वन द्वारा guideline para 3.2 (vi) के अंतर्गत प्रस्तावित वन भूमि के दुगुने वन भूमि पर अर्थात् 1.23 है० DPF NAREHLI, पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 07-10 वर्षों तक रखरखाव हेतु (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) प्रयोक्ता अभिकरण से आवश्यक धनराशि जमा कराई जायेगी।	वन द्वारा guideline para 3.2 (vi) के अंतर्गत प्रस्तावित वन भूमि के दुगुने वन भूमि पर अर्थात् 1.23 है० DPF NAREHLI, पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 07-10 वर्षों तक रखरखाव हेतु (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आवश्यक धनराशि जमा कर दी गयी है। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।
2.	वन विभाग द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन में निर्मित 0.4342 हेठो के 3 गुणा क्षेत्र अर्थात् 1.30 हेठो DPF NAREHLI पर दडात्मक क्षतिपूरक पौधारोपण (Penal CA) एवम् उसके 7-10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) प्रयोक्ता अभिकरण से आवश्यक धनराशि जमा कराई जाएगी।	वन विभाग द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन में निर्मित 0.4342 हेठो के 3 गुणा क्षेत्र अर्थात् 1.30 हेठो DPF NAREHLI पर दडात्मक क्षतिपूरक पौधारोपण (Penal CA) एवम् उसके 7-10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) प्रयोक्ता

		अभिकरण से आवश्यक धनराशि जमा कर दी गयी है। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्र है।
3.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा कर दी गयी है। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्र है।
4.	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्र है।
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में Online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण Rs. 8,14,960/-/- dated 28-03-2018 ) (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में Online Portal के चालान माध्यम द्वारा कर दिया गया है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित कर दी गयी है। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्र है।
6.	सड़क निर्माण के पश्चात् जहां-जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा केन्द्रीय कगार पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में स्ट्रिप plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित होगी।	सड़क निर्माण के पश्चात् जहां-जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा केन्द्रीय कगार पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में स्ट्रिप plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित की गयी है। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र व ऑनलाइन चालन सलग्र है।
7.	State Govt. will upload revised digital map of area proposed for diversion at para 'C' Part-I online, proposed for diversion at para 'C' Part-I online, of which has been provided in hard copy with reply of State Govt. dated 29.09.2017.	Needful done.
	<b>विधिवत् स्वीकृति व अन्य आवश्यक शर्तें</b>	
1.	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्र है।

2.	एनपीवी की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पीवी देने के लिए बाध्य होगा।	एनपीवी की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पीवी देने के लिए बाध्य होगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्र है।
3.	प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार DPF NAREHLI में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त राशि से कुल 1.23 हेठले वन न भूमि में पौधे लगाकर किया जाएगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।	प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार DPF NAREHLI में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त राशि से कुल 1.23 हेठले वन न भूमि में पौधे लगाकर किया जाएगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्र है।
4.	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा 1.30 हेठले DPF NAREHLI वन भूमि में दण्डात्मक प्रतिपूरक वृक्षारोपण (Penal CA) एवं उसका रख-रखाव किया जाएगा। दण्डात्मक प्रतिपूरक वृक्षारोपण एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा 1.30 हेठले DPF NAREHLI वन भूमि में दण्डात्मक प्रतिपूरक वृक्षारोपण (Penal CA) एवं उसका रख-रखाव किया जाएगा। दण्डात्मक प्रतिपूरक वृक्षारोपण एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्र है।
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस – पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस – पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्र है।

6.	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टाफ के लिए रसोई गैस /कैरोसीन तेल की आपूर्ति की जाएगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुंचे।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टाफ के लिए रसोई गैस /कैरोसीन तेल की आपूर्ति की जाएगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुंचे। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्र है।
7.	सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ –जहाँ संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा केन्द्रीय कगार पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख –रेख में स्ट्रिप plantation की जाएगी।	सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ –जहाँ संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा केन्द्रीय कगार पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख –रेख में स्ट्रिप plantation की जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्र है।
8.	परियोजना के निर्माण व रख – रखाव के दौरान आस –पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जाएगी।	परियोजना के निर्माण व रख – रखाव के दौरान आस –पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्र है।
9	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दिए गये layout plan में दर्शाए गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दिए गये layout plan में दर्शाए गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्र है।
10.	प्रस्ताव के अनुसार कोई भी वृक्षों का कटान/पातन नहीं किया जाएगा।	प्रस्ताव के अनुसार कोई भी वृक्षों का कटान/पातन नहीं किया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्र है।

11	प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख-रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का आर . सी . सी स्तम्भ लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर आगे तथा पीछे असर भी अंकित किया जायेगा ।	प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख-रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का आर . सी . सी स्तम्भ लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर आगे तथा पीछे असर भी अंकित किया जायेगा । इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है । इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्र है ।
12	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख –रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के आलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जायेगा ।	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख –रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के आलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जायेगा । इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है । इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्र है ।
13.	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है । इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्र है ।
14.	ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।	ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझा जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है । इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्र है ।

  
 Executive Engineer  
 Division Sarkaghat  
 HP PWD at Sarkaghat



**Office of DEPUTY CONSERVATOR OF FORESTS**  
**SUKET FOREST DIVISION; SUNDERNAGAR DISTT. MANDI (H.P.) 175002**  
**PHONE & Fax 01905 - 267228 . e-mail - dfosuket123@gmail.com**

क्रमांक./FCA./ ९५६१

दिनांक./सुकेत./ ०५/११/२०२४

प्रेषक : उप-अरण्यपाल  
सुकेत वन मंडल

प्रेषित : मुख्य अरण्यपाल  
वन वृत्त मंडी

**विषय :** Diversion of 0.6123 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road to Harijan Basti Kalehri (Kms 0/00 to 2/500), within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, H.P. (FP/HP/ROAD/20377/2016)

**संदर्भ:-** भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 के पत्र क्र० सं० ८बी /एच .पी. /06/41 /2017/एफ. सी /1204 दिनांक 10.10.2017.

महोदय जी,

भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा पत्र सं० ८बी /एच .पी. /06/41 /2017/एफ. सी /1204 दिनांक 10.10.2017. के माध्यम से उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति में संदर्भित शर्तों की अनुपालन रिपोर्ट प्रयोक्ता अभिकरण के कार्यालय पत्र संख्या 7794 दिनांक 16-10-2024 के माध्यम से अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में संदर्भित शर्तों की अनुपालन रिपोर्ट निम्न प्रकार से है :-

क्र० सं०	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तें	मंजूर/नामंजूर
1.	वन द्वारा guideline para 3.2 (vi) के अंतर्गत प्रस्तावित वन भूमि के दुगुने वन भूमि पर अर्थात् 1.23 है० DPF NAREHLI, पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 07-10 वर्षों तक रखरखाव हेतु (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) प्रयोक्ता अभिकरण से आवश्यक धनराशि जमा कराई जायेगी।	मंजूर (प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित शपथ पत्र संलग्न है)
2.	वन विभाग द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन में निर्धारित 0.4342 है० के 3 गुणा क्षेत्र अर्थात् 1.30 है० DPF NAREHLI पर दड़ाल्मक क्षतिपूरक पौधारोपण (Penal CA) एवम् उसके 7-10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) प्रयोक्ता अभिकरण से आवश्यक धनराशि जमा कराई जाएगी।	मंजूर (प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित शपथ पत्र संलग्न है)
3.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि Rs 4,02,281/-जमा करा दी गई है। (Annexure -III)
4.	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बदला प्रस्तुत की जाए।	मंजूर (प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित शपथ पत्र संलग्न है)



**Office of DEPUTY CONSERVATOR OF FORESTS**  
**SUKET FOREST DIVISION; SUNDERNAGAR DISTT. MANDI (H.P.) 175002**  
**PHONE & Fax 01905 - 267228 . e.mail - dfosuket123@gmail.com**



5.	<p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में Online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।</p>	<p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में Online Portal के माध्यम द्वारा जमा करा दिए गए हैं।          (प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित शपथ पत्र संलग्न है)</p>
6.	<p>सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ-जहाँ संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा केन्द्रीय कगार पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में स्ट्रिप plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित होगी।</p>	<p>मंजूर          (प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित शपथ पत्र संलग्न है)</p>
7.	<p>State Govt. will upload revised digital map of area proposed for diversion at para 'C' Part-I online, which has been provided in hard copy with reply of State Govt. dated 29.09.2017.</p>	<p>मंजूर          (प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित शपथ पत्र के अनुसार वांछित कार्य कर लिया गया है।)</p>

**विधिवत् स्वीकृति व अन्य आवश्यक शर्ते :-**

1.	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	मंजूर (प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित शपथ पत्र संलग्न है)
2.	एनपीवी की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी देने के लिए बाध्य होगा।	मंजूर (प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित शपथ पत्र संलग्न है)
3.	प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार DPF NAREHLI में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त राशि से कुल 1.23 हेठो वन न भूमि में पौधे लगाकर किया जाएगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।	मंजूर (प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित शपथ पत्र संलग्न है)
4.	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा 1.30 हेठो DPF NAREHLI वन भूमि में दण्डात्मक प्रतिपूरक वृक्षारोपण (Penal CA) एवं उसका रख-रखाव किया जाएगा। दण्डात्मक प्रतिपूरक वृक्षारोपण एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।	मंजूर (प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित शपथ पत्र संलग्न है)
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस - पास मजदूरों /स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।	मंजूर (प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित शपथ पत्र संलग्न है)
6.	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टाफ के लिए रसोई गैस /कैरोसीन तेल की आपूर्ति की जाएगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुंचे।	मंजूर (प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित शपथ पत्र संलग्न है)
7.	सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ-जहाँ संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा केन्द्रीय कगार पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में स्ट्रिप plantation की जाएगी।	मंजूर (प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित शपथ पत्र संलग्न है)



**Office of DEPUTY CONSERVATOR OF FORESTS**  
**SUKET FOREST DIVISION; SUNDERNAGAR DISTT. MANDI (H.P.) 175002**  
**PHONE & Fax 01905 - 267228 . e.mail – dfosuket123@email.com**

8.	परियोजना के निर्माण व रख - रखाव के दौरान आस -पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जाएगी ।	मंजूर (प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित शपथ पत्र संलग्न है)
9.	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दिए गये layout plan में दर्शाए गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा ।	मंजूर (प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित शपथ पत्र संलग्न है)
10.	प्रस्ताव के अनुसार कोई भी वृक्षों का कटान/पातन नहीं किया जाएगा ।	मंजूर (प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित शपथ पत्र संलग्न है)
11.	प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख-रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का आर. सी. सी स्तम्भ लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर आगे तथा पीछे असर भी अंकित किया जायेगा ।	मंजूर (प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित शपथ पत्र संलग्न है)
12.	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलबे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलबा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख -रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के आलावा अन्यत्र मलबा नहीं फेंका जायेगा ।	मंजूर (प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित शपथ पत्र संलग्न है)
13.	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	मंजूर (प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित शपथ पत्र संलग्न है)
14.	ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।	मंजूर (प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित शपथ पत्र संलग्न है)

2. इसके अतिरिक्त Nodal Officer-cum-APCCF(FCA) के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 48-3393/2016(FCA) Dated Shimla-1, the 29/06/2018 के माध्यम से क्र०सं० 1 में वांछित जानकारी हेतु प्रयोक्ता अभिकरण को आदेश किए गए हैं और क्र०सं० 2 में वांछित जानकारी "Revised digital map of the area of proposed diversion" पत्र के साथ सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु संलग्न है।

पृष्ठांकन संख्या १५७०-७१ दिनांक./सुकेत./ ०५/११/२४  
प्रतिलिपि :

1. अधिशासी अभियंता सरकारी मंडल को आपके कार्यालय पत्र संख्या No.PW-SKT-WA-FOREST CASE/2024 7794 dated 16/10/2024 के सन्दर्भ में सूचनार्थ हेतु प्रेषित है।

2. वन परिक्षेत्र अधिकारी बलद्वाडा को सूचनार्थ हेतु प्रेषित है।

उप-अरण्यपाल  
सुकेत वन मंडल सुंदरनगर

उप-अरण्यपाल  
सुकेत वन मंडल सुंदरनगर

## वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 0.6123 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road to Harijan Basti Kalehri (Kms 0/00 to 2/500), within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, H.P.

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 के पत्र क्र० सं० ४बी /एच .पी. /06/41 /2017/एफ. सी /1204 दिनांक 10.10.2017.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० ४बी /एच .पी. /06/41 /2017/एफ. सी /1204 दिनांक 10.10.2017. के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
1.	वन द्वारा guideline para 3.2 (vi) के अंतर्गत प्रस्तावित वन भूमि के दुगुने वन भूमि पर अर्थात् 1.23 है० DPF NAREHLI, पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 07-10 वर्षों तक रखरखाव हेतु (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) प्रयोक्ता अभिकरण से आवश्यक धनराशि जमा कराई जायेगी।	वन द्वारा guideline para 3.2 (vi) के अंतर्गत प्रस्तावित वन भूमि के दुगुने वन भूमि पर अर्थात् 1.23 है० DPF NAREHLI, पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 07-10 वर्षों तक रखरखाव हेतु (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आवश्यक धनराशि जमा कर दी गयी है। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्र है।

Executive Engineer,  
Divisional Engineer,  
B.R.Division,  
H.P.P.W.D.  
Sarkaghat  
Sarkaghat

Place:- Sarkaghat

Date:-

Divisional Forest Officer  
Suket Forest Division  
Sundarnagar (H.P.) - 175018

## वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 0.6123 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road to Harijan Basti Kalehri (Kms 0/00 to 2/500), within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, H.P.

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 के पत्र क्र० सं० ४बी /एच.पी. /06/41 /2017/एफ. सी /1204 दिनांक 10.10.2017.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० ४बी /एच.पी. /06/41 /2017/एफ. सी /1204 दिनांक 10.10.2017. के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
2.	वन विभाग द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन में निर्मित 0.4342 हेक्टेयर के 3 गुणा क्षेत्र अर्थात् 1.30 हेक्टेयर NAREHLI पर दडात्मक क्षतिपूरक पौधारोपण (Penal CA) एवम् उसके 7-10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) प्रयोक्ता अभिकरण से आवश्यक धनराशि जमा कराई जाएगी।	वन विभाग द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन में निर्मित 0.4342 हेक्टेयर के 3 गुणा क्षेत्र अर्थात् 1.30 हेक्टेयर NAREHLI पर दडात्मक क्षतिपूरक पौधारोपण (Penal CA) एवम् उसके 7-10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आवश्यक धनराशि जमा कर दी गयी है। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्र है।

  
 Executive Engineer,  
 Divisional Forest Officer  
 P & R Division, HP P.W.D.  
 HP P.W.D. at Sarkaghat

Place:- Sarkaghat

Date:-

  
 Divisional Forest Officer  
 Suket Forest Division  
 Sundernagar (H.P.) - 175018

## वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 0.6123 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road to Harijan Basti Kalehri (Kms 0/00 to 2/500), within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, H.P.

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 के पत्र क्र० सं० ४८ी/एच.पी./06/41/2017/एफ. सी/1204 दिनांक 10.10.2017.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० ४८ी/एच.पी./06/41/2017/एफ. सी/1204 दिनांक 10.10.2017. के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर / नामंजूर
.3	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा कर दी गयी है। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्र है।



Executive Engineer,  
Division Sarkaghat  
B & R Division, HP P.W.D.  
HP PWD at Sarkaghat  
Sarkaghat

Place:- Sarkaghat

Date:-



Divisional Forest Officer  
Suket Forest Division  
Sundernagar (H.P.) - 175018

## वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 0.6123 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road to Harijan Basti Kalehri (Kms 0/00 to 2/500), within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, H.P.

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 के पत्र क्र० सं० ४बी /एच .पी. /06/41 /2017/एफ. सी /1204 दिनांक 10.10.2017.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० ४बी /एच .पी. /06/41 /2017/एफ. सी /1204 दिनांक 10.10.2017. के माध्यम से निर्धारित सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
.4	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

Place:- Sarkaghat

Date:-

c/s

Executive Engineer,  
Divisional Forest Officer  
H.P.P.W.D. at Sarkaghat.  
Sarkaghat

Divisional Forest Officer  
Suket Forest Division,  
Sunder Nagar (HP)

## वचनबद्धता प्रमाण पत्र

**Subject:-**

Diversion of 0.6123 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road to Harijan Basti Kalehri (Kms 0/00 to 2/500), within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, H.P.


**संदर्भ:-**

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच.पी./06/41/2017/एफ. सी /1204 दिनांक 10.10.2017.

**महोदय :-**

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० 8बी /एच.पी./06/41/2017/एफ. सी /1204 दिनांक 10.10.2017. के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।


क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
5.	<p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण Rs. 8,14,960/- dated 28-03-2018 (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में Online Portal के चालान माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।</p>	<p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण Rs. 8,14,960/- dated 28-03-2018 (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में Online Portal के चालान माध्यम द्वारा कर दिया गया है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।</p>



Executive Engineer,  
Divisional Forest Officer  
HP PWD at Sarkaghat  
Sarkaghat

**Place:- Sarkaghat**

**Date:-**


  
 Divisional Forest Officer  
 Suket Forest Division  
 Sundernagar (H.P.) - 175018

No. 1464  
H.P.Forest Department.

Dated Sundernagar, the 25 May, 2018

From:-D.F.O, Suket.

To: C.P, Mandi.

**Subject:** Diversion of 0.6123 ha. of forest land for the construction of link road to Harizen Basti Kalehri (Km. 0/00 to 2/500 Kms) with the jurisdiction of Suket Forest Division H.P.

**Memo:-**

Kindly refer to Nodal Officer-cum-CCF(FCA) O/o Pr. CCF(HoFF),H.P Shimla endst.No. Ft.48-3393/2016 (FCA) dated 02.11.2017 on the subject cited above.


2. Compliance to the In-principle approval stipulations imposed in the present forest land diversion proposal is reported as under :

1. The user agency has deposited Rs 1,86,570/- towards cost of compensatory afforestation.
2. The user agency has deposited Rs.1,97,188/- towards cost of penal compensatory afforestation.
3. The user agency has deposited Rs. 4,02,281/- towards NPV & also deposited Rs. 28,921/- towards Reclamation plan charges of the forest land at the latest norms.
4. Undertaking submitted by user agency is attached.
5. The all above amount of CA, PCA, NPV & RP (Rs.1,86,570 +RS.1,97,188+Rs.4,02,281+ Rs.28,921= Rs.8,14,960 (Eight lakh Fourteen thousand nine hundred Sixty) has been deposited by user agency in the account of Himachal Pradesh CAMPA on dated 15.01.2018 in Corporation Bank, FCS Bangalore, IFSC code CORP0000633 vide RTGS UTR No. PUNBH18090938029 dated 31.03.2018 through online e-challan generated (photocopy enclosed). The user agency has also deposited Rs.68780/- as cost of departmental charges @17.5% on CA , PCA & RP (Rs. 31095+Rs.32865+Rs.4820=Rs.68780/-Sixty Eight thousand Seven hundred Eighty) copy is enclosed herewith.
6. Undertaking submitted by user agency is attached.
7. The Proforma II duly filled is enclosed.

It is therefore requested that the final approval of the proposal may kindly be obtained & conveyed to this office.

Pcc: As above.


Endst. No. 1465-66 dated 05/05/18

  
Divisional Forest Officer,  
Suket Forest Division,  
Sundernagar, H.P.

Copy is forwarded to :-

1) Executive Engineer, B&R Division HPPWD Sarkaghat Distt Mandi H.P. w.r.t.  
his letter No. PW-SKT/CB/Supdtt. cash/2018-1036-37 dated.02.05.2018 and 1057-58 dated  
03.05.2018 for information.

2) Incharge Account Branch to this office for information.

  
Divisional Forest Officer,  
Suket Forest Division,  
Sundernagar, H.P.



E-CHALLAN

**Valid Upto** 13-Apr-2018 **Remitter Copy**  
**HIMGRN** B18D122792 Date 02-04-2018 10:20:07AM

**Department** Forest  
**BarCode**   
**Period** 07-04-2018 To 07-04-2018

DDO MDI01-816- FOREST DIVISION SUKET(SUNDERNAGAR)

Head	₹ Amount
06-01-800-18-OTHER MISCELLANEOUS RECEIPT	68780
<b>Total/Net Amount</b>	<b>68780</b>
1 words	Sixty Eight Thousand Seven Hundred Eighty

---

**Payee Detail**

**License/Vehicle/Permit/TIN no.**

**ELLANEUS RECEIPTS** -on account of departmental charges for Rs. 31095/- PCA Rs. 32865/- and RP Rs. 4820/- for the diversion 0.6123 ha of forest land for the c/o link road harizen basti  
shri

mitter Name:- DFO Suket

**DFO Suket Forest Division Sundernagar**  
**Mob: 1907267228**

**FOR USE IN RECEIVING BANK**

**HIMGRN** **818D122792**

**₹ 63780**

**MANAGER, SBI SUNDERNAGAR**

IR ~~SEARCHED~~ ~~INDEXED~~ ~~SERIALIZED~~  
aqua-DD-No. UPL-320035 dated 2/3/88

स्त्रीय रस्टेट बैंक 8548  
Bank of Inv. No.  
P.M. (H.P.) / Chatterkheri (H.P.)

- 9 APR 2013

Bhavneel Kaur / भवनील कौर  
5553017

~~LIBRARY~~ ~~SEARCHED~~ ~~INDEXED~~ ~~FILED~~

— 3 —

四

**B18D122792**

e-Challan (IFMS)

VMR/MS/78  
28/2/18

(HPTR-RTGS)  
RTGS/NEFT ADVICE

Payee Code	M	D	I	1	2					DDO Code No.	6	0	4	SDO Codes	0	0
------------	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--------------	---	---	---	-----------	---	---

Description : Executive Engineer, B & R Division, HPPWD Sarkaghat

Assigned Token No. : 4 0 3 0 0 0 Date : 2 8 0 3 2 0 1 8

Directly credited to the following accounts : Total Amount = Rs 814960

Name of Contractor/Supplier S/Sh.	Payee Code	IFSC Code of Bank	Bank Name	Account No.	Amount (Rs)
HIMACHAL PRADESH CAMPA	ML60410410	CORP0000633	Corporation Bank PCS Bangalore	150706120377471	814960
TOTAL					814960

Amount in words: Rs Eight Lac Fourteen Thousand Nine Hundred Sixty only

Executive Engineer  
B & R Division HPPWD  
(DDO Signature)

(Pay Order by DTO/To for NEFT/RTGS)

Received By: \_\_\_\_\_

(To be filled in duplicate) \_\_\_\_\_

HPTR-RTGS

**AGENCY COPY**  
**NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA**  
Date : 15-01-2018

Agency Name.	HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6120377471
Location.	HIMACHAL PRADESH
Address.	Engineer-in-Chief HPPWD Nirman Bhawan Nigam Vihar Shimla
Amount(in Rs)	814960/-

Amount in Words : Eight Lakh Fourteen Thousand Nine Hundred and Sixty Rupees Only

**NEFT/RTGS to be made as per following details;**

Beneficiary Name:	HIMACHAL PRADESH CAMPA
IFSC Code:	CORP0000633
Pay to Account No.	150706120377471
Bank Name & Address:	Corporation Bank FCS Bangalore, * Note : The proceeds of the payment will be credited to the respective CAMPA State Account.

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through  
Email: helpdeskcampain@corpbank.co.in

Print

Back

UTR N-0  
PUNBH 180 90938029

At - 31-03-2018

Amnt - 814960

**BANK COPY**  
**NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA**  
Date : 15-01-2018

Agency Name.	HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6120377471
Location.	HIMACHAL PRADESH
Address:	Engineer-in-Chief HPPWD Nirman Bhawan Nigam Vihar Shimla
Amount(in Rs)	814960/-

Amount in Words : Eight Lakh Fourteen Thousand Nine Hundred and Sixty Rupees Only

**NEFT/RTGS to be made as per following details;**

Beneficiary Name:	HIMACHAL PRADESH CAMPA
IFSC Code:	CORP0000633
Pay to Account No.	150706120377471
Bank Name & Address:	Corporation Bank FCS Bangalore, * Note : The proceeds of the payment will be credited to the respective CAMPA State Account.

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only



**PROFORMA****(Details of Remittance of Amount)**

**Full Title of the Project:** Diversion of 0.6123 ha. of forest land for the construction of link road to Harizen Basti Kalchri (Km. 0/00 to 2/500 Kms) with the jurisdiction of Suket Forest Division H.P.

**File No. :** \_\_\_\_\_


**Date of Proposal:** \_\_\_\_\_

**PROFORMA****(Details of remittance of amount)**

1.	State /District/Forest Division to which the proposal relates	Himachal Pradesh/Mandi/Suket Forest Division, Sundernagar.
2.	Name of the User Agency,	Executive Engineer, B&R Division HPPWD Sarkaghat
3	Nature of the Proposal	C/O Link road to Harizen Basti Kalehri (km 0/00 to 2/500 Kms) with the jurisdiction of Suket Forest Division
4.	Extent of forest area involved for diversion	0.6123 hectare
5.	Whether original, or extension of existing approval	Original
6.	If extension of lease, please clarify if proposal involves additional forest area. If so, specify	-
7.	Date of 1 <sup>st</sup> stage Clearance	10.10.2017
8.	Amount to be realized (in Rs.) for	
a)	Compensatory Afforestation	Rs. 1,86,570/-
b)	Additional Compensatory Afforestation (PCA)	Rs. 1,97,188/-
c)	Catchment Area Treatment	-
d)	Wildlife Management Plan	-
e)	Additional Charges for diversion of area falling under notified/protected areas	-
f)	Net Present Value	Rs. 4,02,281/-
g)	Any other charges/Levies (Plants Damage)Reclamation plan	Rs. 28,921/-
8 (a to g)	Total amount to be Realized	Rs. 8,14,960/-

9	<b>Amount Realized</b>	Rs. 8,14,960/-
i	<b>Details of Bank</b>	RTGS done through Punjab National Bank Sarkughat Distt Mandi H.P
ii	<b>Name of Bank</b>	-
iii	<b>Bank Draft No.</b>	-
iv	<b>Date</b>	-
v	<b>Amount</b>	Rs. 8,14,960/-
vi	<b>Whether deposited by RTGS/NEFT, if so, the particulars &amp; date of remittance</b>	Yes, vide RTGS UTR No. PUNBH18090938029 dated 31.03.2018 amounting to Rs. 8,14,960/-
vii	<b>Bank (Corporation Bank, Lodhi Complex/ Union Bank of India, Sundernagar) in which deposited, with date of deposition</b>	Corporation Bank , FCS Bangalore
10	<b>Any other remarks</b>	--

  
 Divisional Forest Officer  
 Suket Forest Division,  
 Sundernagar.



## वचनबद्धता प्रमाण पत्र

**Subject:-**

Diversion of 0.6123 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road to Harijan Basti Kalehri (Kms 0/00 to 2/500), within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, H.P.

**संदर्भ:-**

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 के पत्र क्र० सं० ४८३ /एच.पी./06/41/2017/एफ. सी/1204 दिनांक 10.10.2017.

**महोदय :-**

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० ४८३ /एच.पी./06/41/2017/एफ. सी/1204 दिनांक 10.10.2017. के माध्यम से निर्गम सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र ० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
६.	सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ-जहाँ संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा केन्द्रीय कगार पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में स्ट्रिप plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित होगी।	सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ-जहाँ संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा केन्द्रीय कगार पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में स्ट्रिप plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित होगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

  
 Executive Engineer,  
 Division Sarkaghat  
 HP PWD at Sarkaghat  
 Jhunjhunu

**Place:-** Sarkaghat

**Date:-**

c/s

  
 Divisional Forest Officer  
 Suket Forest Division  
 Sundernagar (H.P)

## वचनबद्धता प्रमाण पत्र

**Subject:-**

Diversion of 0.6123 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road to Harijan Basti Kaledri (Kms 0/00 to 2/500), within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, H.P.


**संदर्भ:-**

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 के पत्र क्र० सं० ८बी /एच .पी. /06/41 /2017/एफ. सी /1204 दिनांक 10.10.2017.

**महोदय :-**

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० ८बी /एच .पी. /06/41 /2017/एफ. सी /1204 दिनांक 10.10.2017. के माध्यम से निर्गम सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।


क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
7.	State Govt. will upload revised digital map of area proposed for diversion at para 'C' Part-I online, which has been provided in hard copy with reply of State Govt. dated 29.09.2017.	Needful done.

  
 Executive Engineer,  
 Division Sarkaghat W.O  
 HP.PWD. at Sarkaghat

**Place:-** Sarkaghat

**Date:-**

  
 Divisional Forest Officer,  
 Suket Forest Division,  
 Sunder Nagar (HP)

  
 Divisional Forest Officer,  
 Suket Forest Division,  
 Sunder Nagar (HP)

**HIMACHAL PRADESH  
PUBLIC WORKS DEPARTMENT**

No.PW-SD-BLD-forest case/Harizen Basti Kalehri /2020- 1282-83 Dated:- 20.08.2020

To


The Divisional Forest Officer,  
Suket, Forest Division,  
Sunder Nagar.

Sub: Diversion of 0.6123 ha. Of forest land for the construction of link road to Harizen Basti Kalehri (KM. 0/00 to 2/500 Kms) with the jurisdiction of Suket Forest Division H.P.

Reference: - Your office letter No.3416 dated 16.07.2019.  
Enclosed find herewith hard copy of digital map (4 Nos.) as desired vide your office mentioned under reference.

The other information as desired vide above referred letter No. already submitted to your office vide Executive Engineer office letter No. PW-SKT-CB-Forest Case/2017 - 1057-58 dated 03.05.2018.

Copy also enclosed for reference please. Submitted for favour of necessary action at your end please.

  
Assistant Engineer,  
B&R -Sub Division HP.PWD,  
Baldwara.

1. Copy to Executive Engineer B&R Division HPPWD Sarkaghat for Information.  
2. Copy to office file.

Assistant Engineer,  
B&R -Sub Division HP.PWD,  
Baldwara.




  
R.P.  
20.08.2020

# Digital Landuse Map of Link Road Harizan Basti Kalehri ( KM 0/000 to 2/500 )



70°47'35"E

70°48'10"E



## Index

- Alignment (2.5 Kms)
- Drainage
- Pedestrian Way
- Other Roads
- Bridge
- Builup Area
- Agriculture
- Forest
- River/Halish
- OpenLand/GrazingLand/WasteLand/Shrubs

Prepared by:



AGISAC

OpenLand/GrazingLand/WasteLand/Shrubs State Council for Science Technology & Environment Shimla

© Copyright to AGISAC, under the aegis of State Council for Science, Technology & Environment, HJ

This map has been prepared from the references (Latitude, Longitude, Height) and base map provided by the concerned agency and the AGISAC does no responsibility of the correctness and accuracy of the same.

150 75 0 150 300 400 600 Meters

Divisional Forest Officer  
Sardwara Sub. Division  
• P.P.W.D. Sardwara  
Sardwara Division  
SHPWD Sardwara

Divisional Forest Officer  
Sardwara Sub. Division  
• P.P.W.D. Sardwara

## वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 0.6123 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road to Harijan Basti Kalehri (Kms 0/00 to 2/500), within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, H.P.

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 के पत्र क्र० सं० ८बी /एच .पी. /06/41 /2017/एफ. सी /1204 दिनांक 10.10.2017.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० ८बी /एच .पी. /06/41 /2017/एफ. सी /1204 दिनांक 10.10.2017. के माध्यम से निर्गम सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	विधिवत् स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
1.	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

Executive Engineer,  
Division Sarkaghat  
HP.PWD at Sarkaghat  
Sarkaghat

Place:- Sarkaghat

Date:-

४/५

Divisional Forest Officer,  
Suket Forest Division,  
Gunder Nagar (H.P.)

## वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 0.6123 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road to Harijan Basti Kalehri (Kms 0/00 to 2/500), within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, H.P.

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 के पत्र क्र० सं० ४बी /एच.पी. /06/41 /2017/एफ. सी /1204 दिनांक 10.10.2017.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० ४बी /एच.पी. /06/41 /2017/एफ. सी /1204 दिनांक 10.10.2017. के माध्यम से निर्गम सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	विधिवत स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
2 .	एनपीवी की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पीवी देने के लिए बाध्य होगा। तिविनिमयन साइनेज लगाये जायेंगे।	एनपीवी की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पीवी देने के लिए बाध्य होगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

Executive Engineer,  
Division Sarkaghat P.W.D  
HP PWD at Sarkaghat

Place: Sarkaghat

Date:-

c/s

Divisional Forest Officer,  
Suket Forest Division,  
Sundernagar (H.P.)

## वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 0.6123 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road to Harijan Basti Kalehri (Kms 0/00 to 2/500), within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, H.P.


संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001के पत्र क्र० सं० ४बी /एच.पी. /06/41 /2017/एफ. सी /1204 दिनांक 10.10.2017.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० ४बी /एच.पी. /06/41 /2017/एफ. सी /1204 दिनांक 10.10.2017. के माध्यम से निर्गम सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।


क्र० सं	विधिवत स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
3.	प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार DPF NAREHULI में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त राशि से कुल 1.23 हेठो वन न भूमि में पौधे लगाकर किया जाएगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।	प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार DPF NAREHULI में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त राशि से कुल 1.23 हेठो वन न भूमि में पौधे लगाकर किया जाएगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

  
Executive Engineer,  
Division Sarkaghat, W.D.  
HP PWD, at Sarkaghat

Place:- Sarkaghat

Date:-

c/s

  
Divisional Forest Officer  
Dist. - 1st Division.  
Guna Devi (H.P.)

## वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 0.6123 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road to Harijan Basti Kalehri (Kms 0/00 to 2/500), within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, H.P.

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. /06/41 /2017/एफ. सी /1204 दिनांक 10.10.2017.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० 8बी /एच .पी. /06/41 /2017/एफ. सी /1204 दिनांक 10.10.2017. के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	विधिवत स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
4.	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा 1.30 हेठा DPF NAREHLLI वन भूमि में दण्डात्मक प्रतिपूरक वृक्षारोपण (Penal CA) एवं उसका रख-रखाव किया जाएगा। दण्डात्मक प्रतिपूरक वृक्षारोपण एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिये।	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा 1.30 हेठा DPF NAREHLLI वन भूमि में दण्डात्मक प्रतिपूरक वृक्षारोपण (Penal CA) एवं उसका रख-रखाव किया जाएगा। दण्डात्मक प्रतिपूरक वृक्षारोपण एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

Executive Engineer,  
Divisional Forest Officer  
F&R Division, H.P. P.W.D.  
HP PWD at Sarkaghat  
Sarkaghat

Place:- Sarkaghat

Date:-

Divisional Forest Officer  
Suket Forest Division  
Sundernagar (H.P.) - 175018

## वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 0.6123 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road to Harijan Basti Kalehri (Kms 0/00 to 2/500), within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, H.P.

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 के पत्र क्र० सं० ४८ी /एच .पी. /06/41 /2017/एफ. सी /1204 दिनांक 10.10.2017.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० ४८ी /एच .पी. /06/41 /2017/एफ. सी /1204 दिनांक 10.10.2017. के माध्यम से निर्गम सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	विधिवत स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
5..	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस - पास मजदूरों /स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा ।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस - पास मजदूरों /स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा । इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है ।

  
Executive Engineer,  
Divisional Sarkaghat, W.D.  
HP PWD, at Sarkaghat

Place:- Sarkaghat

Date:-

८/१  


Divisional Forest Officer  
Suket Forest Division,  
Sundernagar (H.P.)

## वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 0.6123 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road to Harijan Basti Kalehri (Kms 0/00 to 2/500), within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, H.P.

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001के पत्र क्र० सं० ८बी /एच .पी. /06/41 /2017/एफ. सी /1204 दिनांक 10.10.2017.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० ८बी /एच .पी. /06/41 /2017/एफ. सी /1204 दिनांक 10.10.2017. के माध्यम से निर्धारित सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	विधिवत स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
6.	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टाफ के लिए रसोई गैस /कैरोसीन तेल की आपूर्ति की जाएगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति नहीं पहुंचेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टाफ के लिए रसोई गैस /कैरोसीन तेल की आपूर्ति की जाएगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति नहीं पहुंचेगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

Place:- Sarkaghat

Date:-

c/s

Executive Engineer,  
Division Sarkaghat  
HP.PWD. at Sarkaghat  
Sarkaghat

Divisional Forest Officer  
Suket Forest Division  
Sundergarh HP

## वयनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 0.6123 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road to Harijan Basti Kalehri (Kms 0/00 to 2/500), within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, H.P.

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 के पत्र क्र० सं० ४८ी /एच.पी. /06/41 /2017/एफ. सी /1204 दिनांक 10.10.2017.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जारिये पत्र सं० ४८ी /एच.पी. /06/41 /2017/एफ. सी /1204 दिनांक 10.10.2017. के माध्यम से निर्गम सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	विधिवत् स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
7.	सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ -जहाँ संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा केन्द्रीय कगार पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख -रेख में स्ट्रिप plantation की जाएगी।	सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ -जहाँ संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा केन्द्रीय कगार पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख -रेख में स्ट्रिप plantation की जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

Executive Engineer,  
Division Sarkaghat  
HP.PWD. at Sarkaghat

Place:- Sarkaghat

Date:-

४/५

Divisional Forest Officer  
Suket Forest Division  
Sundernagar (H.P.)

## वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 0.6123 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road to Harijan Basti Kalehri (Kms 0/00 to 2/500), within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, H.P.

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001के पत्र क्र० सं० ४३ी /एच .पी. /06/41 /एफ. सी /1204 दिनांक 10.10.2017.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० ४३ी /एच .पी. /06/41 /एफ. सी /1204 दिनांक 10.10.2017. के माध्यम से निर्गम सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	विधिवत स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
४.	परियोजना के निर्माण व रख - रखाव के दौरान आस - पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जाएगी।	परियोजना के निर्माण व रख - रखाव के दौरान आस - पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

Executive Engineer,  
Division Sarkaghat W.D.  
HP PWD at Sarkaghat

Place:- Sarkaghat

Date:-

e/s

Divisional Forest Officer  
Sarkaghat Forest Division  
Sunder Nagar (H.P.)

## वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 0.6123 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road to Harijan Basti Kalehri (Kms 0/00 to 2/500), within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, H.P.

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001के पत्र क्र० सं० ८बी /एच .पी. /06/41 /2017/एफ. सी /1204 दिनांक 10.10.2017.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० ८बी /एच .पी. /06/41 /2017/एफ. सी /1204 दिनांक 10.10.2017. के माध्यम से निर्गम सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	विधिवत स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
9.	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दिए गये layout plan में दर्शाए गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दिए गये layout plan में दर्शाए गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

Executive Engineer,  
Divisional Sarkaghat P.W.D.  
HP & PWD at Sarkaghat

Place:- Sarkaghat

४/५

Date:-

Divisional Forest Officer  
Suket Forest Division.  
Sunder Nagar (H.P.)

## वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 0.6123 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road to Harijan Basti Kalehri (Kms 0/00 to 2/500), within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, H.P

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001के पत्र क्र० सं० ८बी /एच.पी. /06/41 /2017/एफ. सी /1204 दिनांक 10.10.2017.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० ८बी /एच.पी. /06/41 /2017/एफ. सी /1204 दिनांक 10.10.2017. के माध्यम से निर्गम सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	विधिवत स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
10..	प्रस्ताव के अनुसार कोई भी वृक्षों का कटान/पातन नहीं किया जाएगा।	प्रस्ताव के अनुसार कोई भी वृक्षों का कटान/पातन नहीं किया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

Divisional Forest Officer,  
Suket Forest Division,  
Sunder Nagar (HP)

Executive Engineer,  
Division Sarkaghāt P.W.D.  
H.P.P.W.D. at Sarkaghāt

Place:- Sarkaghāt

Date:-

## वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 0.6123 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road to Harijan Basti Kaledhri (Kms 0/00 to 2/500), within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, H.P.

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001के पत्र क्र० सं० ४बी /एच .पी. /06/41 /एफ. सी /1204 दिनांक 10.10.2017.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० ४बी /एच .पी. /06/41 /एफ. सी /1204 दिनांक 10.10.2017. के माध्यम से निर्गम सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	विधिवत स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
11.	प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख-रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का आर . सी . सी स्तम्भ लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर आगे तथा पीछे असर भी अंकित किया जायेगा ।	प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख-रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का आर . सी . सी स्तम्भ लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर आगे तथा पीछे असर भी अंकित किया जायेगा । इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है ।

c/s

Executive Engineer,  
Division Sarkaghat N.O.  
HP PWD at Sarkaghat  
Sarkaghat

Place:- Sarkaghat

Date:-

~~Divisional Forest Officer  
Suket Forest Division.  
Sundernagar (H.P.)~~

## वचनबद्धता प्रमाण पत्र

**Subject:-**

Diversion of 0.6123 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road to Harijan Basti Kalehri (Kms 0/00 to 2/500), within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, H.P.

**संदर्भ:-**

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. /06/41 /2017/एफ. सी /1204 दिनांक 10.10.2017.

**महोदय :-**


उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० 8बी /एच .पी. /06/41 /2017/एफ. सी /1204 दिनांक 10.10.2017. के माध्यम से निर्गम सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संखा आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	विधिवत स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
12	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख -रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के आलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जायेगा।	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख -रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के आलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

**Place:-** Sarkaghat

**Date:-**

६/८

  
 Executive Engineer,  
 Divisional Forest Officer,  
 H.P.P.W.D. at Sarkaghat

**Divisional Forest Officer**  
**Suket Forest Division**  
**Gunderganj, HP-173001**

## वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 0.6123 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road to Harijan Basti Kalehri (Kms 0/00 to 2/500), within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, H.P.


संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 के पत्र क्र० सं० ८बी /एच.पी. /06/41 /2017/एफ. सी /1204 दिनांक 10.10.2017.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० ८बी /एच.पी. /06/41 /2017/एफ. सी /1204 दिनांक 10.10.2017. के माध्यम से निर्गम सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	विधिवत् स्वीकृति की शर्त	मंजूर / नामंजूर
13.	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।



Executive Engineer,  
Division/Sarkaghat P.W.D.  
H.P.PWD. at Sarkaghat

Place:-Sarkaghat

4/3

Date:-

*[Signature]*  
 Divisional Forest Officer  
 Suket Forest Division  
 Sunder Nagar (HP)

## वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 0.6123 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road to Harijan Basti Kalehri (Kms 0/00 to 2/500), within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, H.P.

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001के पत्र क्र० सं ४८ी/एच.पी./06/41/2017/एफ. सी/1204 दिनांक 10.10.2017.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृत जारिये पत्र सं ४८ी/एच.पी./06/41/2017/एफ. सी/1204 दिनांक 10.10.2017. के माध्यम से निर्गम सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके चुलभ संदर्भ एवं आग्रे कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	विधिवत स्वीकृति की शर्त	मंजूर/नामंजूर
14.	ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।	ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझा जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

Place:-Sarkaghat

Date:-

Divisional Forest Officer  
Suket Forest Division.  
District "Mandi" H.P.

c/c

Executive Engineer,  
Division/Sarkaghat? W.L  
HP.PWD. at Sarkaghat